राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.17(ई)पराविं/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/ 24 जयपुर,दिनांकः 3/1/18

–:: आदेश ::–

इस विभाग के द्वारा एक परिपत्र क्रमांक 2477 दिनांक 14.08.2014 को जारी किया गया था। परिपत्र में यह प्रावधान किया गया था कि किसी परिवाद अथवा शिकायत की जाँच करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं की पालना करवाई जायेगी तथा परिवाद के साथ परिवाद के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा।

पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि उक्त परिपत्र की पालना विभाग में नहीं की जा रही है व बिना शपथ पत्र की शिकायतें प्राप्त होने पर भी उन पर कार्यवाही की जा रही है। अतः यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधितों द्वारा सी.एम. हैल्प लाईन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त सभी शिकायतों के संदर्भ में परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी। सुलभ संदर्भ हेतु परिपत्र दिनांक 14.08.14 की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

..._WOrders A2.docx